चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांकः शिक्षा/
दिनांकः 26.07.2019

सेवा में,

निदेशक/सचिव/प्राचार्य
विश्वविद्याल से सम्बद्ध समस्त एम.फिल. (शिक्षा)
पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान

विशयः एम.फिल.(शिक्षा) सत्र 2019–20 के प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व एम.फिल. (शिक्षा) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त एम.फिल. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त स्ववितः पोशित संस्थानों में एम.फिल. सत्र 2019–20 में काउंसलिंग के माध्यम से छात्र आवंटित करने से पूर्व विश्वविद्यालय के मानको के अनुरूप शिक्षकों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।

उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान में एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों के सत्यापन के लिए निर्धारित **Proforma for Verification of M.Phil. (Education) Faculty** (प्रति संलग्न) पूर्ण कर एम.फिल. पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित शिक्षकों के साथ दिनांक 31**.07.2019** को पूर्वाहन: 11:00 बजे सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में उपस्थित हों। सत्यापन हेतु अनुमोदित शिक्षकों को अपने सभी ौक्षणिक अभिलेख, अनुभव प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, वेतन साक्ष्य, तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि मूल रूप में तथा सभी प्रपत्रों की फोटो का एक सैट लाना अनिवार्य है।

आपको यह भी स्मरण कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा केवल, विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवंम संस्थान में कार्यरत शिक्षकों का ही सत्यापन कराया जायेगा। विगत वर्शों में शिकायती पत्रों के आधार पर कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र निर्गत संस्थान से सत्यापित कराने पर फर्जी पाये गये थे। ऐसे शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय ने निरस्त कर संस्थानों को काउंसिलिग में सम्मलित नही किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, जिन शिक्षकों का चयन आपने संस्थान में किया है या आपके संस्थान में विगत वर्शो से कार्यरत हैं, उनके ौक्षिक प्रमाण–पत्रों व अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान/कालिज से अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से करा लें। यदि किसी शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/पाये जाने अथवा अर्हता पूर्ण न करने के आधार पर अयोग्य पाया जाता है, तो उसका अनुमोदन निरस्त कर विश्वविद्यालय उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करेगा। ऐसी स्थिति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शिक्षकों के सत्यापन के समय जिन संस्थानों मे मानकों के अनुरूप अर्ह शिक्षकों का अनुमोदन व संख्या पूर्ण नहीं होगी, उन्हें एम.फिल. (शिक्षा) सत्र 2019–20 में काउंसलिंग से छात्र आवंटित नही किये जायेंगे और न ही शिक्षकों के सत्यापन हेतु अन्य अवसर प्रदान किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की होगी एवंम विश्वविद्यालय अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि।

समन्वयक

एम.फिल. (शिक्षा) प्रवेश
सत्र 2019–20

Proforma for Verification of M.Phil. Faculty working in Self-financing Institutions affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut

Name of the Institution with Address :

Signed & Verify
Photo of Faculty

Name of the Faculty :

Date of Birth :

Father's Name :

Mobile No. :

E-mail I.D. :

PAN : Adhar No:

Bank Account No. :

Bank's Name & Address :

Residential Address :

No. & Date of University Approval for Faculty :
Enclose copy of approval letter (Note that it will be verified from the University records) -

Designation of Faculty :

Qualifications of Faculty :

Faculty serving on the approved post in the institution: From .... to........................

* Please attach signed and verified bank statement with account number of salary given to above named faculty during last one year.

* Proforma will be accepted only when faculty's Bank account details are furnished.

(Signature of the Faculty)

(Countersign by Chairman / Principal)
With Stamp

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

एम0फिल0 (सत्र 2019–20) पाठयक्रम हेतु शिक्षकों के भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने हेतु अत्यावश्यक सूचना

26.7.2019

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी एम0फिल0 संचालित करने वाले स्ववित्त पोशित महाविद्यालयों /सस्थानों मे काउन्सिलिग से अभ्यर्थी आवंटित करने से पूर्व विश्वविद्यालय के आदेश के अनुपालन में कार्यरत शिक्षको का एन0सी0टी0ई0 के मानको के अनुरूप भौतिक सत्यापन कराया जाना है। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ मे दिनॉक 31.7.2019 को उपरान्ह 11 बजे से साय 4 बजे तक सम्पन्न करायी जानी हैं। निम्नलिखित सूची मे वर्णित तिथि के अनुसार सम्बन्धित स्ववित पोशित महाविद्यालय एम0फिल0 पाठयक्रम में कार्यरत सभी शिक्षको के भौतिक सत्यापन हेतु आवश्यक कागजातो के साथ (जैसा पत्र में वर्णित हैं) उपस्थित होने का कश्ट करें।

क0 स0	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	सत्यापन हेतु तिथि
1-	NOIDA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION, NAVODY VIDYALAYA ROAD, DHOOM MANIOKPUR, DADRI, (G.B. NAGAR)	31.7.2019
2-	COLLEGE OF EDUCATION BILASPUR (G. NOIDA)	31.7.2019
3-	BABU KAMTA PRASAD JAIN MAHAVIDYALYA, DELHI ROAD, BARAUT (BAGHPAT)	31.7.2019
4-	I.P. COLLEGE, BULANDSHAHR	31.7.2019
5-	VINKATESHWARA INST. OF COMP. SCI. & TECH. 208-A SAKET, MEERUT	31.7.2019
6-	R.N. INSTITURE OF MORDEN MANAGEMENT EDUCATION & RESEARCH CENTER RAM HAGH, SECTOR-4 SHASTRI NAGAR MEERUT	31.7.2019
7-	MAHAVEER INSTITUE OF TECHNOLOGY POHALI SARA DHANA ROAD MEERUT	31.7.2019
8-	CHET RAM SHARMA COLLEGE OF EDUCATION SUNDERPUR, SECTOR-44 NOIDA	31.7.2019
9-	DOON COLLEGE OF EDUCATION SUNERPUR, SHARANPUR	31.7.2019

कृपया उपरोक्त तिथि के अनुसार शिक्षको के भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होने का कश्ट करें। इसके उपरान्त हेतु अन्य अवसर प्रदान नही किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयः महाविद्यालय/सस्थान की होगी।

sd/-
चेयरमैन
एम0फिल0 2019–20

sd/-
समन्वयक
एम0फिल0 2019–20